

भारत सरकार Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy  
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय  
Directorate of Construction, Services & Estate Management  
(प्रवर्तन अनुभाग Enforcement Section)

विक्रम साराभाई भवन V.S.Bhavan  
द्वितीय तल, उत्तरी स्कंध 2<sup>nd</sup> Floor, North Wing,  
अणुशक्तिनगर Anushaktinagar  
मुंबई Mumbai – 400094

सं.निसेसंप्रनि/प्रवर्तन/एसडब्ल्यू/ 2018/546

६, सितंबर, 2018

No.DCSEM/ENFT/Seg.Waste/2018/546

September 6, 2018

परिपत्र CIRCULAR

विषय : अणुशक्तिनगर टाऊनशिप में प्लास्टिक थैली/थर्मोकॉल की रोकथाम हेतु गीले एवं सूखे कचरे का पृथक्करण।

Sub: Segregation of Wet and Dry Waste as well as to avoid using plastic bags/ thermocol in Anushaktinagar Township

इस निदेशालय के दिनांक 18/03/2018 एवं 28/06/2018 के समसंख्यक परिपत्रों का संदर्भ लें।  
Reference is invited to this Directorate's Circular of Even Nos. dated 18/03/2018 and 28/06/2018.

प्रदूषण एवं तत्संबंधी गंभीर आपदाओं, स्थान के अभाव के कारण डंपिंग ग्राउंड की अनुपलब्धता इत्यादि के कारण बृहन्मुंबई महानगर पालिका (एमसीजीएम) ने इस निदेशालय को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्करण का अनुदेश दिये हैं। एमसीजीएम द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि निसेसंप्रनि गीले कचरे पर वेर्मी कंपोस्टिंग, कल्चर कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट कंवर्टर या अन्य कोई उपयुक्त वैज्ञानिक पद्धति द्वारा उनका उपचार करें। यह बृहन्मुंबई स्वच्छता एवं सफाई उप विधि 2006 के तहत अनिवार्य है।

Owing to pollution and related serious hazards, non-availability of dumping grounds due to space constraints etc., Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) had given instructions to this Directorate for segregation of wet and dry waste. It had also been informed by MCGM that DCSEM should treat the wet waste in any of the mode/treatment viz. Vermi Composting, Culture Composting, Organic Waster Converter or any suitable scientific method and it is mandatory under Greater Mumbai cleanliness and sanitation Bye-Laws 2006.

एमसीजीएम ने उसके पत्र सं. AE/SWM/3767/ME दिनांक 08/08/2018 के द्वारा यह अनुदेश दिये हैं कि अणुशक्तिनगर टाऊनशिप में सभी प्रकार के कचरे का निपटान निसेसंप्रनि के कार्यक्षेत्र में आता है। कठोर अनुवर्ती एवं अनुनय के बाद, अणुशक्तिनगर टाऊनशिप से 4-5 महीने से इकट्ठा किये गये सूखे कचरे को हाल ही में एमसीजीएम द्वारा उठाया गया है। अब तक, यह माना जाता था कि सूखे कचरे के निपटान की जिम्मेदारी एमसीजीएम की है।

आगे, प्लास्टिक व थर्मोकॉल के हानिकारक प्रभावों से सभी परिचित हैं। इस संबंध में, कई एजेंसियों समाचार सामग्री, परिपत्र, जर्नल, विविध लेख इत्यादि के माध्यम से नियमित रूप से हर एक को सतर्क कर रही हैं।

पूर्वगामी एवं आरंभ होनेवाले त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए अणुशक्तिनगर टाऊनशिप के सभी आवासियों, दुकान आबटितियों, विविध संघों/मंडलों एवं त्यौहार आयोजकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें :

1. अनिवार्य रूप से गीले एवं सूखे कचरे को अलग करना।
2. गीले एवं सूखे कचरे को कम से कम मात्रा में निर्मित करना।
3. प्लास्टिक थैलियों एवं थर्मोकॉल का उपयोग न करना।

आगामी महीनों में विविध त्यौहारों के दौरान कचरे का संसाधन करना निसेसंप्रनि के लिए सबसे कठिन परिस्थिति होती है। इसे ध्यान में रखते हुए त्यौहार आयोजकों से विशेष अनुरोध है कि अधिक मात्रा में गीला एवं सूखा कचरा निर्मित करने से बचें।

टाऊनशिप को स्वच्छ एवं वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए सभी से सहयोग की अपेक्षा की जाती है।

MCGM vide its letter No.AE/SWM/3767/ME, dated 08/08/2018, have instructed that the disposal of all types of waste in Anushaktinagar Township is in the scope of DCSEM. After rigorous follow up and persuasion, the dry waste accumulated for 4-5 months has been recently cleared by MCGM from Anushaktinagar Township. Till date, it was considered that disposal of dry waste is responsibility of MCGM.


Further, it is well-known fact before everyone regarding harmful effects of plastic and thermocol. In this connection, many agencies are cautioning everyone in a regular manner through news items, circulars, journals, various articles etc.

In view of the foregoing and with the beginning of festive season in the coming months, all the residents, shop allottees, various Associations/Mandals and festive organizers of Anushaktinagar Township are requested to adhere on the following:

1. To segregate dry and wet waste compulsorily,
2. To minimize generation of waste, dry as well as wet,
3. To avoid using of plastic bags and thermocol.

Considering the more difficult situation for DCSEM to process waste during various festivals in the coming months, festive organizers are especially requested to restrain from generation of more waste, dry as well as wet.

To keep the Township clean and the environment free from pollution, co-operation from all is solicited.

  
(बी.पी.जोशी B.P. Joshi) 6/9/18

मुख्य प्रशासन अधिकारी Chief Administrative Officer

1. मुंबई स्थित विभागीय क्वार्टरों एवं दुकानों के आबंटितकर्ता । Allottees of departmental quarters and shops in Mumbai

2. सभी सूचना पट्ट All notice boards

प्रतिलिपि Copy to:

1. मुंबई/नवी मुंबई स्थित सभी यूनिटों के प्रशासनिक प्रमुख All Administrative Heads of Units at Mumbai/Navi Mumbai – अपने कर्मचारियों के बीच परिचालित करने के अनुरोध सहित with a request to circulate among their employees.
2. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर CSO, Anushaktinagar
3. प्रशासन अधिकारी AO-III (बी/एस/के B/S/K)
4. प्रभारी अभियंता, Engineer-in-charge टीटीएम TTM-I/II/III/IV/वेस्टर्न सेक्टर Western Sector/कंचनजंगा Kanchanjunga/ओल्ड मंडाला Old Mandala/सीएमयू CMU/एलजीआर LGR
5. महा सचिव, अणुसेट संघ Gen. Secretary, Anusat Association
6. महा सचिव Gen. Secretary, एआरडब्ल्यूए ARWA/एमआरडब्ल्यूए MRWA/डब्ल्यूएसआरडब्ल्यूए WSRWA
7. निसेसंप्रति वेबसाइट/ निसेसंप्रति के सभी उपयोगकर्ता DCSEM website/all users in DCSEM
8. त्यौहार आयोजक Festive Organizers